



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 592581

प्रारूप 26
(नियम 4 क देखिए)

59 हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं, रईसुल हसन पुत्र / पुत्री / पत्नी अखलाक हुसैन
आयु 37 वर्ष, जो ठा.नं. 8 आजाद नगर हल्द्वानी का
की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ
हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ।

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं क्र.सं. 310/11 व क्र.सं. 326/07

(ii) पुलिस थाना (थाने) हल्द्वानी जिला (जिले) नेनीताल राज्य उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है क्र.सं. 310/11 U.S. 147/148/149/336/353/504/1 PC-PP Act क्र.सं. 326/07 U.S. 147/149/34/352/332/336/427/1PC-3P Act. & H Act

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनको) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई कोई आरोप विरचित नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे कोई आरोप विरचित नहीं

(vi) क्या सभी या कोई आरोप ही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है / हैं

उम्त आपलो ने किसी न्यायालय का कोई सम्मन अथवा वारंट



- 2 -

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या /संख्याएं x न. १६१
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है x न. १६१
- (iii) पुलिस थाना (थाने) x न. १६१ जिला (जिले) x राज्य x न. १६१
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है अ.सं. 1187/95 U/S 302/307/IPC चाना हल्द्वारी (क्षेत्र प्रस्ता) व अ.सं. 1756/02 धारा 147/148/149/302/IPC PP हल्द्वारी देखिए
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाये गये थे
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है /रोके गये हैं

स्थान : हल्द्वारी

तारीख : 11-1-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

IDENTIFIED BY:

..... हल्द्वारी स्थान पर आज तारीख 11-1-12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तंभ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाएं।

.....
be
.....
.....
.....

Naigal Narayan
Sath
11/01/12

.....

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या: 3/ई.आर/2011/एस.ओ.आर

दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय: आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए परिशोधित फार्मेट - अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन पत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

सिद्धि अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के अनुसारण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं० 3/ई.आर/2003/जे.एस-11 के द्वारा एक फार्मेट निर्धारित किया है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल करना होता है ।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए हैं । शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है । यह फार्मेट अब से सभी निर्वाचकों के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, सभी राजनीतिक पार्टियों (मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित) के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

ह/०

(के०एफ०विलफ्रेड)

मुख्य सचिव